नम्बर हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनाशियल्स जज	जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
2.25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 31.12.25 को पेश हो।	
7.12.26	पत्रावली आज पेश हुई बार द्वारा कार्य स्थगन किया गया है। अब पत्रावली अनुसार दिनांक 20-1-26 को पेश की जावे	
20-1-26	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे कार्य व्यस्तता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका था। प्रकरण मे बहस सुने हुए एक माह से अधिक समय होने से पुनः मजिद बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। अपील अपीलान्ट की सिद्ध नही होने से खारिज कि जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 01/2016

नरेश कुमार गोद पिता स्व0 कन्हैयालाल जी शर्मा निवासी काटून्दा तह0 बेगूँ
अपीलान्ट

वनाम

1. रूकमणी पिता स्व0 कन्हैयांलाल जी शर्मा (ब्राम्हण) निवासी काटून्दा हाल मुकाम पति श्रवण कुमार निवासी कदवासा तहसील सिंगोली जिला नीमच(म0प्र0)
2. श्री लादूलाल पिता रामचन्द्र जी जाति गुर्जर निवासी काटून्दा तह0 बेगूँ
3. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़
4. श्री ग्राम पंचायत काटून्दा जरिये सरपंच काटून्दा तहसील बेगूँ

रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री विजयप्रकाश शर्मा
अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री सत्यनारायण ईनाणी
अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

आदेश दिनांक :– 20.01.2026

आदेश अपील नामान्तरण संख्या 2948 दिनांक 7.9.2015 ग्राम काटून्दा ग्राम पंचायत काटून्दा तहसील बेगूँ

अपील पत्र इस प्रकार से है कि अपीलान्ट स्व0 कन्हैयॉलाल जी ब्राह्मण निवासी काटून्दा का गोदपुत्र है। अपीलान्ट को स्व0 कन्हैयालाल जी 20 नवम्बर 2002 को हिन्दू रिति रिवाज की प्रचलित परम्पराओ के अनुसार गोद लिया एवं गोद की रस्म आयोजित की गई थी। अपीलान्ट के पक्ष मे दिनांक 11.02.2009 को एक गोदनामा भी निष्पादित एवं पंजीकृत हुआ है जिसकी कॉपी संलग्न है।

यह कि अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय आप (श्री उपखण्ड अधिकारी जी बेगूँ) के न्यायलाय में एक नियमित वाद बाबत घोषणा का दिनांक 19.3.2015 को इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम काटून्दा में स्थित अपीलान्ट की पैतृक सम्पत्ति जो कि विपक्षी संख्या एक के अकेली के नाम पर जरिये नामान्तरण अंकित कर दिया है जो कानूनन गलत है। अपीलान्ट चूंकि स्व0 कन्हैयालाल जी ब्राह्मण निवासी काटून्दा का विधिवत लिया हुआ गोदपुत्र है इसलिए इस भूमि में वादी/अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा कानूनी रूप से निहित है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र माननीय न्यायालय आप द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया, विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया उसने अपना जवाव दावा भी प्रस्तुत कर दिया, वादी ने वाद के साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है। वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र विचाराधीन चल रहे है।

यह कि अपील द्वारा प्रस्तुत नियमित घोषणा का वाद पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते ही प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने वाद पत्र मे वर्णित विवादग्रस्त आराजीयात मे से आराजी संख्या 858/4 रकबा 0.0700 हैक्टर भूमि का विक्रय लादूलाल पिता रामचन्द्र गुर्जर विपक्षी संख्या 21 को दिनांक 23.07.2015 को कर दिया है।

यह कि विपक्षी संख्या 2 को विक्रय की गई भूमि नियमित वाद में विवादित होकर घोषणा का वादपत्र चल रहा है। अपीलान्ट को विपक्षी संख्या दो भूमि के विक्रय होने की जानकारी होते ही अपीलान्ट ने दिनांक 24.7.2015 को विपक्षी संख्या 3 श्री तहसीलदार साहब के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 135(2) राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुंत किया। प्रार्थी अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते ही विपक्षी संख्या 3 तहसीलदार साहब बेगूँ ने पटवारी हल्का काटून्दा से दिनांक 29.07.2015 को प्रार्थना पत्र की जांच व अपनी टिप्पणी सहित रिपोर्ट मांगी गई , पटवारी हल्का ने दिनांक 11.08.2015 को अपील रिपोर्ट पेश की, विपक्षी संख्या 1 ने भी प्रार्थना पत्र का जवाव पेश किया तथा नामान्तरण सम्वन्ध में कार्यवाही विपक्षी संख्या 3 के यहां अन्तर्गत धारा

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

135(2) के तहत विचाराधीन होते हुए पटवारी हल्का ने जानबूझ कर विपक्षी संख्या 2 व 3 से मिलकर तथा अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने के आशय से पिछली तारीख (बैक डेट) में नामान्तरण भरकर भूअभिलेख निरीक्षक की रिपिार्ट भी बेकडेट में दिनांक 31.7.2015 को करवाली, लेकिन इस नामान्तरण का प्रमाणिकरण दिनांक 7.09.2015 को हुआ है। ग्राम पंचायत काटुन्दा विपक्षी संख्या 4 को भी अपीलान्ट ने विपक्षी संख्या 2 को विक्रय की गई भूमि विवादित भूमि है इसकी जानकारी प्रदान कर दी थी फिर भी ग्राम पंचायत ने तहसीलदार बेगूँ के यहां विचाराधीन कार्यवाही के चलते हुए भी नामान्तरण को प्रमाणित करने की भूल की है एवं कानून तथा नियम के विरूद्ध कार्य किया है।

यह कि विवादित नामान्तरण संख्या 2948 में अंकित खसरा संख्या 854/4 की भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा होते हुए एवं कब्जे के सम्बन्ध में पटवारी हल्का को पूर्ण जानकारी होते हुए भी पटवारी हल्का ने विपक्षी संख्या 1 व 2 को लाभ पहुँचाने के लिए कब्जे का महत्वपूर्ण तथ्य अपनी रिपोर्ट मे छिपाया है जो भी उसके कर्तव्य की उदासीनता एवं अवहेलना की परिधि में आता है।

यह कि नामान्तरण में अंकित आराजी संख्या 854/4 पर वर्तमान में भी क़ब्जा अपीलान्ट का ही है, उक्त आराजी नियमित वादपत्र में अंकित होकर सक्षम न्यायालय से निर्णित होना शेष होते हुए तथा भूमि विवादित भूमि की श्रेणी में होते हुए भी ग्राम पचांयत ने दिनांक 7.9.2015 को नामान्तरण निर्णित किया है जो गैर कानूनी है तथा नामान्तरण उक्त संदर्भ के अनुसार निरस्त होने योग्य है।

यह कि किसी भी आराजी के सम्बन्ध में यदि नियमित वाद विचाराधीन हो तो नामान्तरण की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व बोर्ड अजमेंर का भी स्पष्ट अभिमत है एवं स्थापित सिद्धान्त है फिर भी पटवारी हल्का ने विपक्षी संख्या 3 व 4 ने सभी नियम के नियम विरूद्ध व कानून विरूद्ध नीति अपना कर नामान्तरण को जानबूझ कर बैकडेट में भरकर दिनांक 07.09.2015 को ग्राम पंचायत के सरपंच से मिली भगत करके निर्णित कराया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

यह कि अपील में विवादित नामान्तरण चुपके से दिनांक 7.9.2015 को अपीलान्ट की जानकारी के बगैर निर्णित कराया है जिसकी अपीलान्ट को जानकारी दिनांक 24.01.2016 को जमाबन्दी की नकल लेने से हुई तब अपीलान्ट ने दिनांक 25.01.2016 को प्रार्थना पत्र नकले हेतु तहसीलदार साहब बेगूँ में प्रस्तुत किया व अपीलान्ट को नकल दिनांक 3.2.2016 को प्राप्त हुई है दिनांक 7.9.2015 से दिनांक 03.02.2016 तक की अवधि की माफी हेतु धारा 5 अवधि अधिनियम काक प्रार्थना पत्र भी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत है इसलिए अपील को समयावधि में ही माना जाकर यह अपील प्रस्तुत है।

यह कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर अवधि में होने से न्यायालय श्रीमान के आपके समक्ष सुनवाई का क्षैत्राधिकार होने से यह अपील न्यायालय आपके समक्ष प्रस्तुत है।

अतः माननीय न्यायालय श्रीमान आप से प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 20948 निर्णित दिनांक 7.9.2015 ग्राम काटून्दा का निरस्त किया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

अपील पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया, रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण ईनाणी ने अपना अधिकार पत्र पत्रावली मे प्रस्तुत करते हुए प्रकरण मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद का उत्तर प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपील प्रस्तुत होना स्वीकार है किन्तु गलत तथ्यो पर आधारित है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 का उत्तर यह है कि प्रार्थी ने क्या आवेदन दिया उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है और न ही मुझ इसकी कोई सूचना है। पटवारी हल्का एवं सचिव ग्राम पंचायत को कोई जानकारी होने का प्रश्न ही नहीं है। नामान्तरण खुले आम फैसल किया गया। चुपके से नामान्तरण होने की वात पूर्णतया मिथ्या है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 गलत होकर स्वीकार नहीं। नामान्तरण की जानकारी प्रार्थी को शुरू से ही थी। दिनांक 24.01.2016 को जमाबंदी की नकल प्राप्त करने से जानकारी होने की बात मिथ्या एवं काल्पनिक है। प्रार्थी दिनांक 3.02.2016 को नकल प्राप्त करना बताता है जबकि अपील दिनांक 16.02.2016 को प्रस्तुत की गई, इस बीच की अवधी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

वैधानिक रूप से अपील अवधि पार होने पर प्रतिदिन की देरी का स्पष्टीकरण आवश्यक है। अवधि माफ किये जाने का कोई कारण नहीं है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 गलत होकर स्वीकार नहीं। हमे शपथ पत्र की कोई नकल नहीं मिली है। प्रार्थना पत्र मिथ्या होकर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना है कि आवेदन खारिज फरमाया जाकर अपील अवधी पार होने से निरस्त फरमाई जावें।

पत्रावली में प्रार्थना पत्र धारा 5 जवाब प्रस्तुत होने पर अपील पत्र पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपर्वूक सुना गया। बहस में अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील पत्र अनुसार ही निवेदन करते हुए कहा कि यह अपील नामान्तरण संख्या 2948 निर्णित दिंनांक 7.9.2015 को किया उसके विरूद्ध की गई है, उक्त नामान्तरण वर्णित आराजी का विक्रय लादू को किया जाने पर उस विक्रय की पालना में खोले गये नामान्तरण विरूद्ध की गई है, अपीलार्थी गोद पुत्र होकर उनके द्वारा दावा किया गया , उक्त नामान्तरण खारिज किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कहा कि ग्राम पचांयत ने जो नामान्तरण निर्णित किया है वह पंचायत में कोरम में निर्णित किया है, मृतक खातेदार के जायन्दा उत्तराधिकारी के जीवित रहने पर गोदपत्र का कोई अधिकार नही ना ही कोई गिफ्ट डीड ही किसी के फेवर में की जा सकती है। बहस के दौरान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने न्यायिक उद्धारण आर.आर.ए. 2025 पेज 994 से 998 की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुने जाने एवं प्रस्तुत न्यायिक उद्धारण का अवलोकन किये जाने के पश्चात हमारे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन किया गया। पत्रावली में न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड भी तलब किया गया। ग्राम पंचायत काटून्दा का बैठक कार्यवाही रजिस्टर मूल ही तलब किया जाने पर उसका अवलोकन किया गया, रजिस्टर में अन्य प्रस्ताव के साथ ही दिनांक 07.09.2015 को पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरण के साथ साथ नामान्तरण संख्या 2948 को भी स्वीकृत किये जाने का उल्लेख कोरम में लिया गया है जो कि पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर खोला जाकर निर्णित किया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल नामान्तरण संख्या 2948 जो कि ग्राम पंचायत सरपंच काटून्दा द्वारा दिनांक 07.09.2015 को निर्णित किया गया उसका अवलोन किया गया उक्त नामान्तरण पंजीकृत विक्रय विलेख से प्रार्थीया रूकमणीबाई ने आराजी संख्या 854/4 रकबा 0.07 हैक्टर भूमि का विक्रय श्री लादूलाल पिता रामचन्द्र गुर्जर को किया जिसके पालना में यह नामान्तरण खोला गया है, जिसे पंचायत ने विधिवत कौरम में प्रस्ताव लेते हुए ही यह नामान्तरण प्रमाणित किया गया है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धारण आर.आर.टी. 2025 पेज 994 से 998 का भी गहन अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, गोदपुत्र को मृतक के विधिक उत्तराधिकारी जीवित होने पर सम्पत्ति में अधिकार होना या न होना वादपत्र के निर्णय के पश्चात ही संभव है, साथ ही पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर ही नामान्तरण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया है, जहॉ तक पंजीकृत विक्रय विलेख का प्रश्न है, जब तक पंजीकृत विक्रय विलेख को निरस्त नहीं किया जाता है तब तक वह प्रभाव में होता है तथा उसके आधार पर खोला गया नामान्तरण सही खोला गया है, जिसे निरस्त किये जाने का कोई कारण नहीं है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलान्ट विरूद्ध नामा0सं0 2948 निर्णित दिनांक 7.09.2015 की सिद्ध नहीं होने से अपील अपीलान्ट को खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 20.01.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
उपखण्ड अधिकारी,
बेगूॅ जिला चितौडगढ़